



निग - ३०/१२ - I - १६

100%

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल खालियर लिंक कोर्ट सागर मोप्र०

- 1— श्रीमती गीताबाई उम्र 72 साल पुत्री रामसंहाय श्रीवास्तव पत्नि श्री ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव निवासी चमेली चौक सागर म.प्र.
- 2— विष्णुप्रसाद श्रीवास्तव उम्र 69 साल वल्द स्व० श्री रामसंहाय श्रीवास्तव निवासी शर्मा वार्ड खुरई तह० खुरई जिला सागर मोप्र०

निगरानीकर्तागण

19 AUG 2016

विरुद्ध

मोप्र० शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर
अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मोप्र०भ० राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्तागण विनम्र प्रार्थी हैं :-

1— यह कि उक्त निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर कमिश्नर महोदय सागर के आदेश दिनांक 17-06-2016 अभ्यावेदन प्रकरण क्रमांक 608अ/20'1' वर्ष 2015-16 गीताबाई विरुद्ध मोप्र०शासन जिसमें समयावधि बाह्य प्रस्तुत होने से एवं न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर के प्रकरण क्रमांक 603/20'1'X77-78 मोप्र० शासन विरुद्ध प्यारेलाल पटेल प्रवंधक देवीजी मंडिया शर्मा वार्ड खुरई जिला सागर में आदेश दिनांक 6-6-1980 जिसकी जानकारी निगरानीकर्तागण के लिए व्यवहार वाद क्रमांक 24ए/16 न्यायालय श्रीमान द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग - 2 खुरई जिला सागर मोप्र० के न्यायालय में एक व्यवहार वाद क्रमांक 24ए/16 विष्णुप्रसाद श्रीवास्तव विरुद्ध नगर पालिका परिषद खुरई में प्रस्तुत जवाब में उक्त आदेश का विवरण दिये जाने से तथा उक्त विवरण के आधार पर आलोच्य आदेश की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 6-5-2016 नकल मिलने पर हुयी है उक्त आदेश से दुखित होकर उक्त निगरानी श्रीमान के समक्ष लिखित तथ्य एवं आधार पर प्रस्तुत करते हैं

—:

P/14

D. A. M. D. 22
A. M. M. D. 22

२

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3012-एक / 2016

गीताबाई

विरुद्ध

जिला सागर

मोप्र० शासन

पक्षकर्ते एवं अभिभाषकर्ते
आदि के हस्ताक्षर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	
५-१०-२०१६	<p>आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।</p> <p>२/ आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक के पिता स्व० रामसहाय श्रीवास्तव ने खुरई स्थित भूमि खसरा क्रमांक 73 में से 0.16 डिसमिल भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 21-11-1952 को अपनी पुत्री गीताबाई श्रीवास्तव के नाम से मनमोहन वल्द दमरू नाई से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। तदनुसार आवेदिका गीताबाई का नाम नामांतरण उपरांत राजस्व अभिलेख में विधिवत् दर्ज हुआ जो आज तक लगातार चला आ रहा है। यह भी तर्क दिया कि प्रश्नाधीन क्रय की गई भूमि पर आवेदक का व्यक्तिगत मंदिर है एवं मंदिर से लगकर करीब 16 गुणित 15 फुट 8 इंच जगह में चबूतरा बना हुआ है उक्त जगह भी आवेदिका के निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। उक्त जगह पर नगर पालिका परिषद् खुरई द्वारा 2016 में निर्माण कार्य शुरू किया तब आवेदिका ने नगर पालिका परिषद् खुरई को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा एवं विधिवत् न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-२ खुरई के न्यायालय में एक व्यवहार वाद क्रमांक 24ए/16 विष्णुप्रसाद श्रीवास्तव विरुद्ध नगर पालिका परिषद् खुरई के विरुद्ध दावा वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22-३-१६ को प्रस्तुत किया जिसमें नगर पालिका परिषद् के अधिवक्ता ने</p>	

P/18

३०८

उपस्थित होकर दिनांक 2-4-16 को जबाव प्रस्तुत किया। व्यवहार न्यायालय ने आवेदक के पक्ष में आदेश दिनांक 02-4-16 को ही आगामी पेशी तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई। यह भी तर्क दिया कि कलेक्टर सागर द्वारा आवेदकगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये उक्त खसरा नम्बर को मनमाने ढंग से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये खसरा नम्बर 414 एवं 415 से अंकित कर दिया गया है। जबकि उक्त भूमि लगानी भूमि है जो मनमाने ढंग से इस प्रकार उसके नम्बर परिवर्तित नहीं किये जा सकते हैं। उक्त प्रकरण में जो सूचना पत्र जारी किया गया है वह देवीजी मड़िया के नाम से जारी किया गया है किसी व्यक्तिगत नाम से कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है। तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक नजूल ने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 12-2-1980 प्रस्तुत किया जो पूर्णतः मनमाने ढंग से प्रस्तुत किया गया है जिसमें पंचनामा नक्शा मौका संलग्न नहीं किया गया है। वास्तव में राजस्व निरीक्षक ने मौका पर जाकर कोई जांच नहीं की। इस कारण स्थल निरीक्षण नजूल प्रतिवेदन दिनांक 12-2-1980 निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसी स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन को आधार मानकर आलोच्य आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 61/अ-20/77-78 मोप्र० शासन विरुद्ध प्यारे लाल पटेल प्रबंधक देवीजी मड़िया शर्मा वाड खुरई जिला सागर में आदेश दिनांक 6-6-1980 में एक ही आदेश पारित कर खसरा

R/18

DW

नम्बरी लगानी भूमि को नजूल में अंतरण करने में त्रुटि की है तथा अपर आयुक्त ने इस वैधानिक बिन्दु पर बिना विचार किये समयावधि के बिन्दु पर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत विक्य पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा कमांक 73 में से 0.16 डिसमिल आवेदिका गीताबाई के नाम से क्य की गई है। प्रकरण में संलग्न वर्ष 1953-54 से 54-55 की खसरा पांचसाला के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण विक्य पत्र के आधार पर भूमिस्वामी की हैसीयत से खसरे के कॉलम नं० 3 में अंकित है। प्रकरण में संलग्न वर्ष 2015-16 के खसरों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी की हैसीयत से आवेदिका गीताबाई का नाम अंकित है। इससे यह प्रकट होता है कि आवेदिका का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1955 से वर्ष 2015-16 अर्थात् आज दिनांक तक निरंतर भूमिस्वामी के रूप में अंकित चला आ रहा है। प्रकरण में संलग्न प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 खुरई जिला सागर के व्यवहार वाद कमांक 103ए/2016 में पारित आदेश दिनांक 10-5-2016 की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा भी अपने आदेश में यह माना है कि प्रश्नाधीन भूमि

के संबंध में विक्रय पत्र में गीताबाई के नाम से मङ्गिया की जगह का उल्लेख है। इस प्रकार विक्रय पत्र एवं खसरा से प्रथमदृष्ट्या मङ्गिया सहित जगह को क्रय किये जाने के साक्ष्य दर्शित हैं। खसरा नंबर 73/1 रकवा 0.065 हेठो की भूमिस्वामी गीताबाई दर्ज है। व्यवहार न्यायालय के अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 10-5-16 के पैरा 11 में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि "मेन्टेनेंस खसरा वर्ष 2009-10 नजूल की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें शर्मा वार्ड 16 सी प्लाट नंबर 414, 415 पर देवी की मङ्गिया सार्वजनिक शासकीय जगह में होना उल्लेखित किया है। रिमार्क कालम में यह लिखा गया है कि कलेक्टर महोदय सागर के प्रकरण क्रमांक 60-61अ/20(1)/77-78 आदेश दिनांक 06-6-1980 भूखण्ड क्रमांक 415, 415 क्षेत्र 118 वर्गमीटर में देवीजी की मङ्गिया बनी है। इस प्रकार मङ्गिया को शासकीय नजूल की होना बताया गया है और प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्राककलन एवं नक्शा में निर्माण कार्य करने के तथ्य दर्शित होते हैं। कलेक्टर सागर का आदेश दिनांक 06-6-1980 इस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी दशा में वादी की बहिन के नाम से खरीदी गई जगह में बनी देवीजी की मङ्गिया एवं उसकी आगे की जगह जिसमें वर्तमान में चबूतरा बना होना बताया है उसे कलेक्टर शासन ने शासकीय घोषित किया है। वह किस आधार पर किया गया है, यह प्रमाणित नहीं किया गया है। अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के अंत में आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी नगर पालिका परिषद खुरई को निर्देशित किया गया है कि


B/16

OM

वह विवादित स्थान पर निर्माण कार्य न करें। साथ ही उभय पक्ष को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं। माननीय व्यवहार न्यायालय ने आवेदकगण का अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी वाद स्वीकार किया है व कलेक्टर सागर द्वारा प्रश्नाधीन उक्त भूमि पर बनी जगदम्बा की मछिया व चबूतरे को शासकीय भूमि घोषित करना आधारहीन माना है। आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक के विधि संगत तर्कों पर विचार करने एवं उनके द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत व संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन उपरांत प्रथम दृष्टया ही यह स्पष्ट है कि वास्तविक हितबद्ध पक्षकारों को सद्भावना पूर्वक विधिवत सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ही मात्र राजस्व निरीक्षक द्वारा दुराशयपूर्ण एवं मनमाने तरीके से संपादित असत्य स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 61/अ-20(1)/77-78 में पारित आदेश दिनांक 06-6-1980 के द्वारा आवेदकगण की निजी स्वामित्व एवं आधिपत्य की खसरा नंबरी लगानी भूमि पर स्थित उक्त जगदम्बा की मछिया के साथ संलग्न चबूतरे को नगर पालिका परिषद खुरई कि नजूल भूमि मानकर शासकीय भूमि दर्ज करने में अवैधानिकता की गई है, जो कि खेदजनक है। तत्पश्चात इस आदेश से व्यक्ति होकर आवेदकगण ने न्यायालय आयुक्त सागर संभाग के समक्ष उक्त आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन क्रमांक 608/अ-20/15-16 प्रस्तुत किया, जिसमें अपर आयुक्त सागर ने भी उक्त महत्वपूर्ण वैधानिक बिन्दु

पर समुचित विचार न करते हुये समयावधि के बिन्दु पर आदेश दिनांक 17-6-16 पारित कर आवेदकगण का अभ्यावेदन निरस्त किया, जो कि त्रुटिपूर्ण है व स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः यह प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित उपरोक्त आदेश विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाते हैं, तथा आवेदकगण के निजी स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त भूमि में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाती है। त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि विलोपित की जाये। पक्षकार सूचित हों व प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।



(एम.की.सिंह)

सदस्य



P.M.S.